

प्रार्थी

विपक्षी

श्री रूपा पिता मोती खांट निवासी भाटिया	श्री धुला पिता मोती खांट वगैराह निवासी भाटिया		
किस्म मुकदमा	ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 सपठित धारा 151 जा दी	पत्रावली संख्या:	35/2018 2018/00065

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 14.11.2019</p> <p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत खतौनी के खातेदार प्रतिवादी गण है। खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस वजय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।</p> <p>अतः पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(दौलतराम चौधरी RAS) उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा</p>	

